राजस्व वाद 59/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00146
खिंयाराम वगैरह बनाम् मोडाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :59/2020

वादीगण–

1. खिंयाराम पुत्र अमराराम
2. हजारीराम पुत्र अमराराम
3. पन्नाराम पुत्र अमराराम
4. घमण्डाराम पुत्र अमराराम
5. **मनोहर पुत्र तुलछा उर्फ तुलछाराम (फौत के कामय मुकामान 5/1 से 5/5)**
   5/1 सुडा देवी पत्नी मनोहर
   5/2 मुकेश पुत्र मनोहर
   5/3 आसू राम पुत्र मनोहर
   5/4 हरीदन पुत्र मनोहर
   5/5 भवानी पुत्र मनोहर
   आसूराम, हरदीनराम, भवानी नाबालिक जरिये वलिया कुदरती माता सुडा देवी पत्नी मनोहर जातियान मेघवाल निवासीगण डोडू
6. महेन्द्र पुत्र तुलछा उर्फ तुलछाराम
7. भगवानाराम पुत्र तुलछा उर्फ तुलछाराम
8. मूली देवी पत्नी तुलछा उर्फ तुलछाराम
9. कानाराम दत्तक पुत्र छोटू उर्फ छोटूराम
10. मंघी देवी पत्नी छोटू उर्फ छोटूराम
    जातियान–मेघवाल, निवासी डोडू, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मोडाराम पुत्र शेराराम
2. उम्मेदी पत्नी शेराराम
3. दुर्गाराम पुत्र लिछमण
4. रेवन्तराम पुत्र लिछमण
5. मोहन पुत्र सादूल
6. नथूराम पुत्र चेतनराम
7. निम्बाराम पुत्र चेतनराम
8. पूर्णाराम पुत्र चेतनराम
9. मांगीलाल पुत्र बुधाराम
10. गिरधारी पुत्र अमराराम
11. रामेश्वरी पुत्री छोटू उर्फ छोटुराम
12. लिछमा पुत्री छोटू उर्फ छोटूराम
13. संतोष पुत्री छोटू उर्फ छोटूराम

14/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

जातियान–मेघवाल, निवासी डोडू, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

14. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से
3. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ वादी संख्या 5 के कायम मुकामान पत्नी सुडा देवी पत्नी मनोहर
4. प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :

निर्णय

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्वर्गीय बुधाराम के वारिसान है। वादीगण के बडेर के खेताय सरहद मौजा डोडू में खेत खसरा नंबर 166 रकबा 12.4643 हैक्टयेर व खसरा नंबर 167 रकबा 7.6809 हैक्टेयर कुल रकबा 20.1452 हैक्टयेर स्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 उक्त दोनों खेतायों में 1/2 अर्थात आधे हिस्से के काबिज काश्तकार है। उक्त दोनों खेतायों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के मध्य अलग–अलग विभाजन होकर खातेदारी अलग–अलग दर्ज नहीं होने से वादीगण को अपनी जोत से संबंध में सरकारी सुविधा एवं अपनी भूमि में अवासीय मकानात के संबध में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 के साथ खसरा नंबर 167 व 166 कुल रकबा 20.1452 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक दर्ज रहे तथा वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादीगण 1 से 8 वादीगण के साथ खातेदार कृषक है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 का मुतदाविया खेत खसरा नंबर 166 व 167 में 1/2 हिस्सा हक अधिकार स्वामित्व की भूमि का होने से यह वाद बाई मिटस् एंड बाउण्डस के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 का संयुक्त रूप से हिस्सा अलग विभक्त किये जाने बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने दिनांक 18.08.2020 व 9 से 13 ने दिनांक 22.03.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब काउण्टर क्लेम एवं ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़ एवं नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की पहचान अधिवक्ता श्री राप्रकाश बेन्दा ने की। जबाब दावा एवं ईकाबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का एक प्रार्थना पत्र पेश किया क्यों कि प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यू हो चुकी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वकील वादी ने सशोधित शीषर्क पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 14 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण

संख्या 1 से 8 द्वारा प्रकरण के संबंध में जबाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 9 से 13 द्वारा ईकबालिया जबाब पेश है। अतः जबाब काउण्टर क्लेम का जबाब पेश नहीं करना चाहते अतः मिसल तनकीयात हेतु नियम की गई । दिनांक 27.07.2021 को पृथक से तनकीयात की जाकर विवाद्यक बिन्दू तय किये गये।

1. आया– मौजा डोडू तहसील जायल के खेत खसरा नंबर 166 रकबा 12.4643 हैक्टेयर व खसरा नंबर 167 रकबा 7.6809 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 का 1/2 हिस्सा होकर खसरा नंबर 167 सम्पूर्ण व खसरा नंबर 166 रकबा 12.4643 में से 2.3917 हैक्टेयर उतरी भाग वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 के हक अधिकारी बंट की भूमि है। जिम्मेप्रतिवादी
2. अनुतोष।

वादपत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की गई जो पृथक से पत्रावली में शामिल मिसल है। मिसल वास्ते साक्ष्य वादी नियम की गई। वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हजारीराम के पेश हुये तथा पत्रावली साक्ष्य जिरह हेतु नियत की गई। दिनांक 07.09.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र निम्बाराम , मोडाराम के पेश हुवे जिस पर वकील वादी ने साक्ष्य जिरह नहीं करने का निवेदन किया जिसके कारण जिरह अवसर बंद किया। वकील प्रतिवादी ने ओर साक्ष्य नहीं कराने चाहा जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम डोडू तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 244 प्रदर्श–1, सम्वत 2064 से 2067 खाता संख्या 134 नकल पेश हुवे, वादी संख्या 5 मनोहर का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 द्वारा पत्रावली में जरिये जबाब एवं ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 14 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब एवं जबाब काउण्टर क्लेम में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 के हक बंट की भूमि का जरिये जबाब काउण्ट क्लेम एवं ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत जबाब काउण्टर क्लेम दिनांक 18.08.2020 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व 9 से 13 ने दिनांक 22.03.2021 ईकबालिया जबाब के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 के द्वारा प्रस्तुत जबाब काउण्टर क्लेम एवं ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत जबाब काउण्टर क्लेम दिनांक 18.08.2020 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 व 9 से 13 ने दिनांक 22.03.2021 ईकबालिया जबाब में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमतिं व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा डोडू के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 166,167 की भूमि का माफिक जबाब काउण्ट क्लेम एवं ईकबालिया जबाब अनुसार बंट चाहा है खसरा नंबर 166 में से 10.0726 हेक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 166 में से 2.3917 नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 167 सम्पूर्ण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 136 के संयुक्त हक बंट में रखा गया है, जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 166 व 167 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा खसरा नंबर 167 व 167 में हिस्से विशेष के तहत वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 13 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का 1/2 हक बंट चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 02.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 02.10.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1 दिनांक 27.10.2021 को प्राप्त हुआ, हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादीगण रेवन्तराम, नाथूराम, मोडाराम, निम्बाराम, मघी, भगवानाराम, सुदा देवी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अन्य मौतबिरान व्यक्तियों को मुताबिक पीडी रिपोर्ट पढकर सुनाने एवं हस्ताक्षर से भी होती है। इसी प्रकार प्रार्थी भगवानाराम ने मौके पर उपस्थित हुवा परन्तु पीडी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया। जिस पर उभय पक्षकारान्/वकुलाय को सुना गया। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही नहीं होना जाहिर किया र किया तथा एवं निवेदन किया किय प्राथमिक निर्णय में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का 1/2 हिस्सा के आदेश परित किये हुवे है जिस माफिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कांउण्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत नजरीनक्शा अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। इसलिये हम

15/05/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वादीगण का वाद मय कांउण्टर क्लेम अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक वाद मय कांउण्टर क्लेम अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण 1 से 4 , 5/1 से 5/5 , 6, 7 8, 9, 10 खिंयाराम, हजारीराम, पन्नाराम, घमण्डाराम, सुडा देवी, मुकेश,आसुराम,हरदीन, भवानी, महेन्द, भगवानाराम, मूली देवी, कानाराम मंघी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 कमश मांगीलाल, गिरधारी, रामेश्वरी,लिछमा, संतोष के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डोडू के खेत खसरा नंबर 167 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 166 रकबा 12.4643 हैक्टेयर में से रकबा 2.3917 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मोडाराम, उम्मेदी, दुर्गाराम, रेवन्तराम, मोहन, नथूराम, निम्बाराम, पूर्णाराम के संयुक्त हक बंट में ग्राम डोडू तहसील जायल के खसरा नंबर 166 रकबा 12.4643 हैक्टेयर में से रकबा 10.0726 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर * जायल * (एस.डी.ओ.)

14/5/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 59/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00146
खिंयाराम वगैरह बनाम् मोडाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :59/2020

वादीगण–

1. खिंयाराम पुत्र अमराराम
2. हजारीराम पुत्र अमराराम
3. पन्नाराम पुत्र अमराराम
4. घमण्डाराम पुत्र अमराराम
5. **मनोहर पुत्र तुलछा उर्फ तुलछाराम (फौत के कामय मुकामान 5/1 से 5/5)**

   5/1 सुडा देवी पत्नी मनोहर
   5/2 मुकेश पुत्र मनोहर
   5/3 आसू राम पुत्र मनोहर
   5/4 हरीदन पुत्र मनोहर
   5/5 भवानी पुत्र मनोहर
   आसूराम, हरदीनराम, भवानी नाबालिक जरिये वलिया कुदरती माता सुडा देवी पत्नी मनोहर जातियान मेघवाल निवासीगण डोडू
6. महेन्द्र पुत्र तुलछा उर्फ तुलछाराम
7. भगवानाराम पुत्र तुलछा उर्फ तुलछाराम
8. मूली देवी पत्नी तुलछा उर्फ तुलछाराम
9. कानाराम दत्तक पुत्र छोटू उर्फ छोटूराम
10. मंघी देवी पत्नी छोटू उर्फ छोटूराम

जातियान–मेघवाल, निवासी डोडू, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मोडाराम पुत्र शेराराम
2. उम्मेदी पत्नी शेराराम
3. दुर्गाराम पुत्र लिछमण
4. रेवन्तराम पुत्र लिछमण
5. मोहन पुत्र सादूल
6. नथूराम पुत्र चेतनराम
7. निम्बाराम पुत्र चेतनराम
8. पूर्णाराम पुत्र चेतनराम
9. मांगीलाल पुत्र बुधाराम
10. गिरधारी पुत्र अमराराम
11. रामेश्वरी पुत्री छोटू उर्फ छोटुराम
12. लिछमा पुत्री छोटू उर्फ छोटूराम

14/05/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 59 / 2020
जीसीएमएस नंबर 2020 / 00146
खिंयाराम वगैरह बनाम् मोडाराम वगैरह

13. संतोष पुत्री छोटू उर्फ छोटूराम जातियान–मेघवाल, निवासी डोडू, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

14. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से
3. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ वादी संख्या 5 के कायम मुकामान पत्नी सुडा देवी पत्नी मनोहर
4. प्रतिवादी संख्या 14 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से श्री रामप्रकाश बेन्दा व प्रतिवादी संख्या 14 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक वाद मय कांउण्टर क्लेम अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण 1 से 4 , 5/1 से 5/5 , 6, 7 8, 9, 10 खिंयाराम, हजारीराम, पन्नाराम, घमण्डाराम, सुडा देवी, मुकेश,आसुराम,हरदीन, भवानी, महेन्द, भगवानाराम, मूली देवी, कानाराम मंघी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 कमश मांगीलाल, गिरधारी, रामेश्वरी,लिछमा, संतोष के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डोडू के खेत खसरा नंबर 167 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 166 रकबा 12. 4643 हैक्टेयर में से रकबा 2.3917 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मोडाराम, उम्मेदी, दुर्गाराम, रेवन्तराम, मोहन, नथूराम, निम्बाराम, पूर्णाराम के संयुक्त हक बंट में ग्राम डोडू तहसील जायल के खसरा नंबर 166 रकबा 12.4643 हैक्टेयर में से रकबा 10.0726 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

राजस्व वाद 59 / 2020
जीसीएमएस नंबर 2020 / 00146
खिंयाराम वगैरह बनाम् मोडाराम वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....14/05/2022.... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)